5 रु. भारत पाँच रुपये 5 रु. भारत पाँच रुपये 5 रु. भारत पाँच रुप 5 रु. भारत पाँच रुप 5 रु. भारत पाँच रुपये 5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

223

(1)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

नि - 3603 - PBR-16

प्रकरण कमांक -दो/2016 निगरानी

राजेश सिंह पुत्र स्व0 सोवरन सिंह

जाति किरार निवासी ग्राम रमौआ

तहसील ग्वालियर जिला ग्वालियर ----आवेदक

विरूद्ध

1- म0प्र0शासन व्दारा

कलेक्टर जिला ग्वालियर

2- तहसीलदार, तहसील ग्वालियर

जिला ग्वालियर मध्य प्रदेश ---अनावेदकगण

(निगरानी अंतर्गत धारा 50, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 - श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी ग्वालियर, जिला ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 16/2015-16 अपील में पारित आदेश दिनॉक 16-8-2016 के विरूद्ध)

दिनांक 14-10-16 को श्री जी-पी-नायक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत / 14-10-16

226 / 14-10-16

G.P. Nayak Adv. 14.10.16

कृ0पृ0उ0---2

XXXIX(a)-BR (H)-11

राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ ....
निगरानी प्रकरण कमांक 3603–पीबीआर/2016 जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों तथा अभिभाषकों के ह
9-2-17	यह प्रकरण भूलवश अन्य प्रकरण के साथ बँध जाने के कारण आज आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया । उभय पक्ष के अभिभाषकों को तत्समय सुना जा चुका है। यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 16/2015–16 अपील में पारित आदेश दिनांक 16–8–2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि सोबरन सिंह पुत्र महाराज सिंह किरार के नाम ग्राम रमौआ तहसील ग्वालियर की भूमि सर्वे कमांक 196 रकबा 9 वीघा 16 विसवा, सर्वे कमांक 197 रकबा 9 वीघा 3 विसवा, सर्वे कमांक 198 रकबा 9 वीघा 19 विसवा, सर्वे कमांक 191 रकबा 9 वीघा 8 विसवा कुल किता 4 कुल रकबा 38 वीघा 06 विसवा (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) जमींदारी काल में संबत 2009 अर्थात सन् 1952 से भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज चली आ रही थी, सोबरन सिंह की मृत्यु उपरांत उसकी विधवा पत्नि अवयस्क बच्चे सहित बच्चों की परवरिस हेतु ग्राम रमौआ से ग्वालियर आकर रहने लगी एंव भूमि बटाई पर कराती रही। जब स्वर्गीय सोबरन सिंह का पुत्र आवेदक राजेश सिंह वयस्क हुआ, उसके व्दारा खेती–बाड़ी सम्हाली गई तथा उन्नत खेती हेतु बैंक से लोन लेने बैंकर्स के पास गया एंव बैंकर्स व्दारा चालू खसरे की मांग करने पर	

प्र0क0 3603-पीबीआर/2016 निगरानी

पटवारी से चालू खसरा मांगा, तब पटवारी से पता चला कि भूमि सोबरन सिंह के अथवा उसके पुत्र आवेदक के नाम न होकर शासकीय दर्ज कर दी गई है, तब मृतक सोबरन सिंह के बसीयतग्रहीता पुत्र राजेश सिंह ने तहसीलदार ग्वालियर को आवेदन देकर त्रृटि के सुधार की मांग की एंव तहसीलदार ग्वालियर ने प्रकरण कमांक 16/2014-15 अ-6-अ में पारित आदेश दिनांक 28-12-15 आवेदक का आवेदन भी अस्वीकार कर दिया। इस आदेश के विरुद्ध आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी ग्वालियर के समक्ष अपील कमांक 16/2015-16 प्रस्तुत की, जिसमें पारित आदेश दिनांक 16-8-2016 से अपील अस्वीकार की गई। इसी आदेश से दुखी होकर यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक एंव मध्य प्रदेश शासन के पैनल लायर के तर्को पर विचार करते हुये अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों व्दारा प्रस्तुत तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से स्थिति यह है कि तहसीलदार ग्वालियर ने प्रकरण कमांक 16/ 2014-15 अ-6-अ में पारित आदेश दिनांक 28-12-15 के पद चार में इस प्रकार लिखा है -

" प्रकरण का एंव प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का मेरे व्दारा अवलोकन किया गया। प्रकरण में आवेदक के व्दारा ग्राम रमौआ के सर्वे नंबर 196,197,198 के संबत् 2006 लगायत 2032 तक खसरों की फोटो प्रति प्रस्तुत की है मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं। पटवारी ग्राम व्दारा जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है वह प्रतिवेदन किस रिकार्ड के आधार पर तैयार किया गया है इसका उल्लेख नहीं है एंव प्रतिवेदन के साथ कोई रिकार्ड या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है।

XXXIX(a)-BR (H)-11

राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ ....
निगरानी प्रकरण कमांक 3603–पीबीआर/2016 जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों तथा अभिभाषकों के ह
	तहसीलदार ग्वालियर के आदेश के पालन में हलका पटवारी ने मौके पर जाकर जॉच की है तथा पटवारी व्दारा प्रस्तुत जॉच प्रतिवेदन इस प्रकार है :– "संबत 2006 से संबत 2024 तक भूमि सोबरन सिंह बल्द महाराज सिंह कौम किरार के नाम पर भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज रही है। संबत 2926 से लेकर वर्तमान तक खसरे में प्रश्नाधीन भूमि सर्वे नंबर 196, 197, 198 नोईयत चरनोई शासकीय दर्ज है । संबत 2026 में भूमि को शासकीय दर्ज करने का कोई आदेश हवाला नहीं दिया गया है। संबत 2026 से 2032 तक के खसरे प्रकरण में संलग्न है। " संबत 2006 से संबत 2024 तक (अर्थात सन् 1949 से 1968 तक निरन्तर) भूमि सोबरन सिंह बल्द महाराज सिंह कौम किरार के नाम पर भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज चली आना हलका पटवारी प्रमाणित कर रहा है एंव संबत 2026 से 2032 तक के खसरे प्रकरण में संलग्न होने का तथ्य प्रतिवेदन में अंकित है, बिना सक्षम अनुज्ञा के भूमि शासकीय दर्ज करने का पटवारी का अभिलेख के आधार पर प्रस्तुत प्रतिवेदन अखंडित है। मध्य भारत लैण्ड रेवेन्यू एण्ड टेनेन्सी एक्ट 1950 धारा 54/7 तथा कानून माल ग्वालियर की धारा 247, 2/27, 2/28 = खुदकास्त भूमि का ठेकेदार भी 12 वर्षो से अधिक समय से लगातार कब्जे में होकर लगान का भुगतान कर रहा है वह कास्तकार मौरूषी हो जाता है। वादग्रस्त भूमि मृतक सोबरन सिंह के नाम संबत 2006 से संबत 2024 तक (अर्थात सन् 1949 से 1968 तक निरन्तर) भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज है जिसे बिना सक्षम आदेश के तत्समय पदस्थ रहे हलका पटवारी ने उपरोक्त पद 4 में की गई	

विवेचना अनुसार शासकीय अंकित किया है । शासकीय अभिलेख अद्यतन रखने का दायित्व राजस्व अधिकारियों/ कर्मचारियों का है। विचाराधीन प्रकरण में भी यही स्थिति है क्योंकि वादोक्त भूमि संबत 2006 से संबत 2024 तक (अर्थात सन् 1949 से 1968 तक निरन्तर) मृतक सोबरन सिंह के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज होना खसरों की प्रमाणित प्रतिलिपियों से सिद्ध है एंव भूमिस्वामी सोबरन सिंह की मृत्यु उपरांत वयस्क होने पर उसका बसीयतग्रहीता पुत्र राजेश सिंह खसरा सँशोधन कराने का अधिकारी है।

5/ प्रकरण में आये तथ्यों से प्रमाणित है कि तत्समय पदस्थ रहे हलका पटवारी ने मृतक सोबरन सिंह का नाम शासकीय अभिलेख से बिना सक्षम आदेश के हटाया है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 114 सहपठित 115 में व्यवस्था दी गई है कि यदि किसी तहसीलदार को यह पता चले कि उसके अधीनस्थ पदाधिकारी व्दारा धारा 114 के अधीन तैयार किये गये भू अभिलेखों में गलत या अशुद्ध प्रविष्टि की गई है तो वह सम्यक लिखित सूचना देने के पश्चात् सम्बन्धित व्यक्तियों से पूछताछ करने के पश्चात् जैसी कि वह उचित समझे , उसमें आवश्यक परिवर्तन किये जाने का निर्देश देगा। विचाराधीन प्रकरण में तहसीलदार ग्वालियर ने राजस्व निरीक्षक को पत्र भेजकर पटवारी के अतिरिक्त राजस्व निरीक्षक से भी प्रथक से जॉच प्रतिवेदन प्राप्त किया है। राजस्व निरीक्षक वृत्त मेहरा तहसील ग्वालियर व्दारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 16-5-16 इस प्रकार है :-

"ग्राम रमौआ के सर्वे नंबर 196,197,198 भूमि का रिकार्ड रूम से जाकर अवलोकन किया गया जिसमें उक्त सर्वे नंबरों पर संबत 2007 से 2024 तक के खसरों में सोबरन सिंह बल्द महाराज सिंह का नाम

XXXIX(a)-BR (H)-11

राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ ....
निगरानी प्रकरण कमांक 3603–पीबीआर/2016 जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों तथा अभिभाषकों के
	अंकित है, उसके उपरांत वर्तमान वर्ष तक उक्त सर्वे नंबर शासकीय चारागाह (चरनोई) दर्ज है। ” पाया गया कि वाद विचारित भूमि के भूमिस्वामी स्वर्गीय सोबरन सिंह उसके वाद उनकी पत्नि व्दारा एंव आवेदक के वयस्क होने पर आवेदक व्दारा खेती की जाती रही है किन्तु तत्का. पटवारी ने बिना सक्षम आदेश के वादग्रस्त भूमि पर से भूमिस्वामी के नाम को विलोपित कर अधिकारविहीन कार्यवाही की है। “ धारा 117 – भू अभिलेखों में की प्रविष्टियों के बारे में उपधारणा – भू अभिलेखों में इस अध्याय के अधीन की गई समस्त प्रविष्टियों के बारे में यह उपधाणा की जाएगी कि वे सही हैं जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए। ” गंभीर सिंह तथा अन्य वि. कल्याण तथा अन्य 2000 रा0नि0 61 में न्यायमूर्ति श्री आर0पी0गुप्ता (हा0को0) ने व्यवस्था दी है कि (यद्यपि राजस्व लेखों की प्रविष्टियां खण्डन करने योग्य हैं परन्तु यदि प्रविष्टि का खण्डन नहीं होता है तो उसके सही होने का अनुमान किया जायेगा। जब दशकों से निरन्तर प्रविष्टि चली आ रही है तो उसके सही होने का अनुमान किया जायेगा). गनी खान वि. अपना वाई 1883 एम0पी0एल0जे0 304 = 1983 रा.नि. 213 में मान. उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि (जब खसरा की प्रतिलिपि उचित रूप से सत्य प्रमाणित	

हो और नियमानुसार दी गई हो तो साक्ष्य में ग्रहण करने योग्य होगी).

विचाराधीन प्रकरण में भी यही स्थिति है एंव प्रस्तुत अभिलेख का शासन के पैनल लायर खण्डन भी नहीं कर सके हैं। शासकीय अभिलेख अद्यतन रखने का दायित्व राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों का है। गणेशी लाल जैन विरुद्ध म0प्र0राज्य 2004 रा0नि0 329, A.I.R. 1969 S.C. 1297 तथा 1998(1) M.P.W.N. 26 के न्याय दृष्टांत हैं कि संबत 2007 (सन 1950) से महिला सरवती वाई का नाम भूमिस्वामी के रूप में अंकित होकर 1961 तक भूमिस्वामी के रूप में दर्ज रहा। आवेदिका भूमिस्वामी है। भूमि आवेदक के स्वत्व एंव आधिपत्य की मानी गई। संबत 2006 से संबत 2024 तक (अर्थात सन् 1949 से 1968 तक निरन्तर) मृतक सोबरन सिंह के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज होना खसरों की प्रमाणित प्रतिलिपियों से सिद्ध है । जब तहसीलदार के समक्ष हलका पटवारी के जॉच प्रतिवेदन एंव राजस्व निरीक्षक के जॉच प्रतिवेदन दिनांक 16–5–16 से अभिलेख की स्थिति एंव मौके की स्थिति स्पष्ट हो चुकी थी, तहसीलदार का दायित्व था कि वह संहिता की धारा 115 के अंतर्गत खसरा सॅशोधन की कार्यवाही करते, किन्तु इन प्रविष्टियों का खण्डन भी तहसीलदार व्दारा **Speaking Order** पारित करके नहीं किया है । अनुविभागीय अधिकारी ग्वालियर ने आदेश दि. 16–8–16 पारित करते समय तहसील न्यायालय के प्रकरण कमांक 16/14–15 अ–6–अ में आये तथ्यों से वाहर जाकर मनगढ़न्त आदेश पारित करना प्रतीत हुआ है जिसके कारण दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

XXXIX(a)-BR (H)-11

राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ ....
निगरानी प्रकरण क्रमांक 3603–पीबीआर/2016 जिला ग्वालियर

कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों तथा अभिभाषकों के ह
6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी ग्वालियर व्दारा प्रकरण क्रमांक 16/2015–16 अपील में पारित आदेश दिनांक 16–8–16 तथा तहसीलदार ग्वालियर व्दारा प्रकरण क्रमांक 16/14–15 अ–6–अ में पारित आदेश दिनांक 28–12–2015 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते है तथा तहसीलदार ग्वालियर को आदेश दिये जाते हैं कि स्वर्गीय सोबरन सिंह पुत्र महाराज सिंह किरार के नाम की ग्राम रमौआ तहसील ग्वालियर की भूमि सर्वे क्रमांक 196 रकबा 9 वीघा 16 विसवा, सर्वे क्रमांक 197 रकबा 9 वीघा 3 विसवा, सर्वे क्रमांक 198 रकबा 9 वीघा 19 विसवा, सर्वे क्रमांक 191 रकबा 9 वीघा 8 विसवा कुल किता 4 कुल रकबा 38 वीघा 06 विसवा पर उसके बसीयतग्रहीता पुत्र राजेश सिंह का नाम चालू वर्ष के खसरे (कम्प्यूटराईज्ड खसरा सहित) में भूमिस्वामी के रूप में प्रविष्टि अंकित करावें। सदस्य	